रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 27, 2014/ ज्येष्ठ 6, 1936
No. 281]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 27, 2014/JYAISTHA 6, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 4 अप्रैल, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2014

सा. का. नि. 361(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे ।

(ii) ये 4 फरवरी, 2014 से लागू होंगे।*

2. अनुसूची 1 में संशोधन

(i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में, अनुसूची 1 के संलग्नक "बी" की मद सं. 23 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जाएगी:—

23. बीमा			
23.1	(i) बीमा क□नी (ii) बीमा ब्रोकर (iii) थर्ड □ार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (iv) सर्वेयर और हानि आकलक (loss assessors)	26% (FDI+FPI+FII+NRI)	स्वचालित
23.2	अन्य शर्तें (1) बीमा अधिनियम, 1938 में यथा □रिभाषित बीमा क्षेत्र में एफडीआई स्वचालित मार्ग के अ□र्गत अनुमत है। (2) यह इस शर्त के अधीन है कि एफडीआई लाने वाली क□नियां□ बीमा गतिविधियों के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करेंगी। (3) बैंक प्रवर्तित (promoted) बीमा क□नियों के लिए "बैंकि□-निजी क्षेत्र" स□न्धी मद 18.2.4 (i)(सी) और (ई) के उ□ब□ लागू होंगे। (4) भारतीय बीमा क□नी निम्नलिखित क□नी के रू□ में □रिभाषित है: ए. जो क□नी अधिनियम, 1956 के अ□र्गत गठित और □□ीकृत है; बी. जिसमें किसी विदेशी क□नी द्वारा या तो स्वय□ अथवा उसकी सहायक क□नियों अथवा उसके मनोनीत व्यक्तियों द्वारा ईक्विटी शेयरों की समग्र होल्डि□ भारतीय बीमा क□नी की प्रदत्त ईक्विटी □□ी के 26 प्रतिशत से अधिक नही□ है; सी. जिसका एकमेव (sole) प्रयोजन जीवन बीमा कारोबार अथवा सामान्य बीमा कारोबार अथवा □ुनर्बीमा कारोबार करना है। (5) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा ब्रोकर) विनियमावली, 2002 के अनुसार, "बीमा ब्रोकर" का तात□र्य उस व्यक्ति से है जो स□ंधित प्राधिकारी द्वारा विनियम 11 के अ□र्गत लाइसेंस प्राप्त है, और जो □ारिश्रमिक के लिए अ□ने ग्राहकों की ओर से बीमा क□नियों और/अथवा □ुनर्बीमा क□नीयों से बीमा स□िदाओं□ (insurance contracts) का		

	प्रबंध करता है। (6) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) (टीपीए-हेल्थ सेवाएँ) विनियमावली, 2001 के अनुसार 'टीपीए' का तात्पर्य थर्ड पार्टी एड्मिनिस्ट्रेटर से है जो प्राधिकारी द्वारा, तत्समय, लाइसेन्स प्राप्त है और जो बीमा कम्पनी के साथ किए गए करार में, किसी भी नाम से अभिहित है, शुल्क अथवा पारिश्रमिक लेकर हेल्थ सेवाओं के उपबंधों के कार्य में संलग्न है। (7) सर्वेयर और हानि आकलक (Loss Assessors) (IRDA) बीमा सर्वेयर और हानि आकलक (Loss Assessors) (लाइसेंसिंग, प्रॉफेशनल अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) विनियमावली, 2000 द्वारा नियंत्रित होंगे।		

[सं. फेमा. 301/2014-आरबी]

रुद्र नारायण कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:

(i) *यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिये जाने के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा ।

(ii) मूल विनियमावली संख्या सा.का.नि. 406(अ) दिनांक 08.05.2000 के द्वारा सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (i), में प्रकाशित और बाद में निम्नानुसार संशोधित की गयी थी:—

सा. का. नि. सं. 158(अ), दिनांक 02.03.2001
सा. का. नि. सं. 175(अ), दिनांक 13.03.2001
सा. का. नि. सं. 182(अ), दिनांक 14.03.2001
सा. का. नि. सं. 4(अ), दिनांक 02.01.2002
सा. का. नि. सं. 574(अ), दिनांक 19.08.2002
सा. का. नि. सं. 223(अ), दिनांक 18.03.2003
सा. का. नि. सं. 225(अ), दिनांक 18.03.2003
सा. का. नि. सं. 558(अ), दिनांक 22.07.2003
सा. का. नि. सं. 835(अ), दिनांक 23.10.2003
सा. का. नि. सं. 899(अ), दिनांक 22.11.2003
सा. का. नि. सं. 12(अ), दिनांक 07.01.2004
सा. का. नि. सं. 278(अ), दिनांक 23.04.2004
सा. का. नि. सं. 454(अ), दिनांक 16.07.2004
सा. का. नि. सं. 625(अ), दिनांक 21.09.2004
सा. का. नि. सं. 799(अ), दिनांक 08.12.2004
सा. का. नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005
सा. का. नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005
सा. का. नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005
सा. का. नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005
सा. का. नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005
सा. का. नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005
सा. का. नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006
सा. का. नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006
सा. का. नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007
सा. का. नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007
सा. का. नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007
सा. का. नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008
सा. का. नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008
सा. का. नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009
सा. का. नि. सं. 341 (अ) दिनांक 21.04.2010

सा. का. नि. स□ 821 (अ) दिनाङ्क 10.11.2012

सा. का. नि. स□ 606 (अ) दिनाङ्क 03.08.2012

सा. का. नि. स□ 795 (अ) दिनाङ्क 30.10.2012

सा. का. नि. स□ 796(अ) दिनाङ्क 30.10.2012

सा. का. नि. स□ 797 (अ) दिनाङ्क 30.10.2012

सा. का. नि. स□ 945 (अ) दिनाङ्क 31.12.2012

सा. का. नि. स□ 946 (अ) दिनाङ्क 31.12.2012

सा. का. नि. स□ 38 (अ) दिनाङ्क 22.01.2013

सा. का. नि. स□ 515 (अ) दिनाङ्क 30.07.2013

सा. का. नि. स□ 532 (अ) दिनाङ्क 05.08.2013

सा. का. नि. स□ 341 (अ) दिनाङ्क 28.05.2013

सा. का. नि. स□ 344 (अ) दिनाङ्क 29.05.2013

सा. का. नि. स□ 195 (अ) दिनाङ्क 01.04.2013

सा. का. नि. स□ 393 (अ) दिनाङ्क 21.06.2013

सा. का. नि. स□ 591 (अ) दिनाङ्क 04.09.2013

सा. का. नि. स□ 596 (अ) दिनाङ्क 06.09.2013

सा. का. नि. स□ 597 (अ) दिनाङ्क 06.09.2013

सा. का. नि. स□ 681 (अ) दिनाङ्क 11.10.2013

सा. का. नि. स□ 682 (अ) दिनाङ्क 11.10.2013

सा. का. नि. स□ 818(अ) दिनाङ्क 31.12.2013

सा. का. नि. स□ 683 (अ) दिनाङ्क 11.10.2013

सा. का. नि. स□ 805(अ) दिनाङ्क 30.12.2013

सा. का. नि. स□ 189 (अ) दिनाङ्क 19.03.2014

RESERVE BANK OF INDIA

Foreign Exchange Department

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th April, 2014

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Fourth Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 361(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:-

1. **Short Title & Commencement**:-

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Fourth Amendment) Regulations, 2014.

(ii) They shall come into force from February 4, 2014.*

2. Amendment to Schedule 1

(i) In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), the entry No. 23 in Annex B of Schedule 1, shall be substituted by the following :-

23 Insurance			
23.1	(i) Insurance Company (ii)Insurance Brokers (iii)Third party Administrators (iv) Surveyorsand Loss Assessors	26% (FDI+FPI/FII+NRI)	Automatic
23.2	Other conditions		

	(1) FDI in the Insurance sector, as prescribed in the Insurance Act, 1938, is allowed under the automatic route. (2) This will be subject to the condition that Companies bringing in FDI shall obtain necessary license from the Insurance Regulatory & Development Authority for undertaking insurance activities. (3) The provisions of entry 18.2.4(i) (c) and (e) relating to 'Banking – Private Sector' shall be applicable in respect of bank promoted insurance companies. (4) Indian Insurance company is defined as a company: a. which is formed and registered under the Companies Act, 1956; b. in which the aggregate holdings of equity shares by a foreign company either by itself or through its subsidiary companies or its nominees, do not exceed 26% paid-up equity capital of such Indian insurance company; c. whose sole purpose is to carry on life insurance business or general insurance business or re-insurance business. (5) As per IRDA (Insurance Brokers) Regulations 2002, "insurance broker" means a person for the time-being licensed by the Authority under Regulation 11, who for remuneration arranges insurance contracts with insurance companies and/or reinsurance companies on behalf of his clients. (6) As per IRDA(TPA- Health Services) Regulations, 2001, "TPA" means a Third Party Administrator who, for the time being, is licensed by the Authority, and is engaged, for a fee or remuneration, by whatever name called as may be specified in the agreement with an insurance company, for the provision of health services. (7) Surveyors and Loss Assessors, will be governed by the IRDA Insurance Surveyors and Loss Assessors (Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct) Regulations, 2000.

[No. 301 /2014-RB]
RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager–in-Charge

Foot Note:-

(i) * It is clarified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these Regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001
G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001
G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
G.S.R.No.821 (E) dated 10.11.2012
G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012

G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No. 945(E) dated 31.12.2012
G.S.R. No. 946(E) dated 31.12.2012
G.S.R. No. 38(E) dated 22.01.2013
G.S.R.No. 515(E) dated 30.07.2013
G.S.R.No. 532(E) dated 05.08.2013
G.S.R. No. 341(E) dated 28.05.2013
G.S.R.No. 344(E) dated 29.05.2013
G.S.R. No. 195(E) dated 01.04.2013
G.S.R.No. 393(E) dated 21.06.2013
G.S.R.No. 591(E) dated 04.09.2013
G.S.R.No. 596(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 597(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 681(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 682(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No. 818(E) dated 31.12.2013
G.S.R.No. 683(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No. 805(E) dated 30.12.2013
G.S.R.No. 189(E) dated 19.3.2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054